

शहरी विकास विभाग, (संसदीय शाखा)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
09वॉ तल, सी - विंग, दिल्ली सचिवालय
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

एफ. 53 (07) अता0 प्र0-73/द्वि. सत्र (बजट सत्र) 2025/दिविस/श.वि./339-341 दिनांक: 24.03.2025

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054.

विषय:- दिल्ली विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 73, श्री
दिनांक 26.03.2025 को सदन की बैठक हेतु।

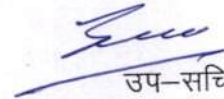
मोहन सिंह बिल्ल

महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धृत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों, माननीय मंत्री, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

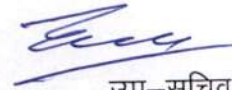
भवदीय



उप-सचिव (सं0 शा0)

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय शहरी विकास मंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की दो प्रतियों सहित।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित।



उप-सचिव (सं0 शा0)

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002.

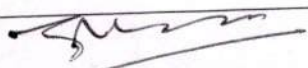
माननीय विधायक का नाम : श्री मोहन सिंह बिष्ट

दिनांक : 26.03.2025

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 73

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर																														
क	विगत वर्षों से 2025 तक एमएलए लैंड फंड को कुल कितनी बार बढ़ाया गया, उसका विवरण दें;	शहरी विकास विभाग दिनांक 13.12.2017 से विधायक निधि द्वारा सम्बंधित कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर रहा है। विधायक निधि में मंत्रि मंडल के निर्णय (Cabinet Decision) No. 2623 दिनांक 07.08.2018 द्वारा विधायक निधि में वृद्धि 04 करोड़ से 10 करोड़ की गयी। तत्पश्चात मंत्रिमंडल के निर्णय (Cabinet Decision) No. 3157 दिनांक 10.10.2024 द्वारा विधायक निधि में वृद्धि 10 करोड़ से 15 करोड़ की गयी 2017 से प्रत्येक वर्ष विधायक के लिए फण्ड का आवंटन निम्न प्रकार है: <table><tr><th>वर्ष</th><th>प्रति विधायक आवंटित फण्ड</th></tr><tr><td>2017-18</td><td>Rs. 4 Crore</td></tr><tr><td>2018-19</td><td>Rs. 10 Crore</td></tr><tr><td>2019-20</td><td>Rs. 10 Crore</td></tr><tr><td>2020-21</td><td>Nil (कोविड के कारण फण्ड का आवंटन नहीं किया गया)</td></tr><tr><td>2021-22</td><td>Rs. 4 Crore</td></tr><tr><td>2022-23</td><td>Rs. 4 Crore</td></tr><tr><td>2023-24</td><td>Rs. 7 Crore</td></tr><tr><td>2024-25</td><td>Rs. 15.00 Crore</td></tr></table>	वर्ष	प्रति विधायक आवंटित फण्ड	2017-18	Rs. 4 Crore	2018-19	Rs. 10 Crore	2019-20	Rs. 10 Crore	2020-21	Nil (कोविड के कारण फण्ड का आवंटन नहीं किया गया)	2021-22	Rs. 4 Crore	2022-23	Rs. 4 Crore	2023-24	Rs. 7 Crore	2024-25	Rs. 15.00 Crore												
वर्ष	प्रति विधायक आवंटित फण्ड																															
2017-18	Rs. 4 Crore																															
2018-19	Rs. 10 Crore																															
2019-20	Rs. 10 Crore																															
2020-21	Nil (कोविड के कारण फण्ड का आवंटन नहीं किया गया)																															
2021-22	Rs. 4 Crore																															
2022-23	Rs. 4 Crore																															
2023-24	Rs. 7 Crore																															
2024-25	Rs. 15.00 Crore																															
ख	क्या यह भी सत्य है कि अधिकतर जगहों पर एमएलए लैंड फंड के सिवाय दूसरे फंड का उपयोग नहीं किया जा सकता;	जी नहीं ।																														
ग	क्या उपरोक्त फंड को किसी दूसरे हेड में प्रयोग किया जा सकता है;	जी नहीं ।																														
घ	यदि हां, तो कितना एवं यदि नहीं तो क्यों, विवरण दें; और	उपरोक्त उत्तरनुसार प्रश्न नहीं उठता ।																														
ड	पिछले 10 वर्षों के दौरान मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में एमएलए लैंड फंड के तहत कितनी धन राशि आवंटित की गई, कितने कार्य पारित किए गए तथा उपरोक्त फंड में कितनी धन राशि अब तक बकाया रही, पूर्ण विवरण दें?	शहरी विकास विभाग को MLALAD फण्ड का वितरण 13.12.2017 के आदेश से दिया गया था तथा प्रतिवर्ष आवंटन निम्न है: <table><tr><th>वर्ष</th><th>प्रति विधायक आवंटित फण्ड</th></tr><tr><td>2017-18</td><td>Rs. 4 Crore</td></tr><tr><td>2018-19</td><td>Rs. 10 Crore</td></tr><tr><td>2019-20</td><td>Rs. 10 Crore</td></tr><tr><td>2020-21</td><td>Nil (कोविड के कारण फण्ड का आवंटन नहीं किया गया)</td></tr><tr><td>2021-22</td><td>Rs. 4 Crore</td></tr><tr><td>2022-23</td><td>Rs. 4 Crore</td></tr><tr><td>2023-24</td><td>Rs. 7 Crore</td></tr><tr><td>2024-25</td><td>Rs. 15.00 Crore</td></tr></table> मुस्तफाबाद विधानसभा में MLALADS फण्ड द्वारा किये गए कार्यों का विवरण निम्न है: <table><tr><th>विधानसभा सत्र</th><th>कार्यों की संख्या</th><th>कार्यों की स्वीकृति राशि</th><th>शेष राशि</th></tr><tr><td>6th DVS</td><td>33</td><td>19.99 Cr</td><td>-</td></tr><tr><td>7th DVS</td><td>45</td><td>28.23 Cr</td><td>1.77 Cr*</td></tr></table> *सातवीं विधानसभा के समापन के बाद शेष धन राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता है।	वर्ष	प्रति विधायक आवंटित फण्ड	2017-18	Rs. 4 Crore	2018-19	Rs. 10 Crore	2019-20	Rs. 10 Crore	2020-21	Nil (कोविड के कारण फण्ड का आवंटन नहीं किया गया)	2021-22	Rs. 4 Crore	2022-23	Rs. 4 Crore	2023-24	Rs. 7 Crore	2024-25	Rs. 15.00 Crore	विधानसभा सत्र	कार्यों की संख्या	कार्यों की स्वीकृति राशि	शेष राशि	6th DVS	33	19.99 Cr	-	7th DVS	45	28.23 Cr	1.77 Cr*
वर्ष	प्रति विधायक आवंटित फण्ड																															
2017-18	Rs. 4 Crore																															
2018-19	Rs. 10 Crore																															
2019-20	Rs. 10 Crore																															
2020-21	Nil (कोविड के कारण फण्ड का आवंटन नहीं किया गया)																															
2021-22	Rs. 4 Crore																															
2022-23	Rs. 4 Crore																															
2023-24	Rs. 7 Crore																															
2024-25	Rs. 15.00 Crore																															
विधानसभा सत्र	कार्यों की संख्या	कार्यों की स्वीकृति राशि	शेष राशि																													
6th DVS	33	19.99 Cr	-																													
7th DVS	45	28.23 Cr	1.77 Cr*																													


J.P. MEENA
 Dy. Secretary (U.D./P.C.)
 Govt. of NCT of Delhi
 Delhi Secretariat
 I.P. Estate, New Delhi-02